<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 1/2018 /13/38-10-2018-24/17</u>

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2018

विषय:- मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा प्रदेश है। भौगोलिक, आर्थिक तथा स्थानीय विशिष्टताओं की दृष्टि से विभिन्नताएं हैं । यद्यपि प्रदेश में अपार भौतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाएं हैं, परन्तु समुचित उपयोग के अभाव में जनसामान्य को यथोचित लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। विशेषकर ऐसे दूरस्थ गांव, जो प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय/ अन्तर्राज्यीय) पर स्थित हैं तथा आजादी के बाद से अभी तक इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है तथा बनटांगिया, मुसहर एवं थारू जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णत: नहीं मिल पाया है। इन पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में अवस्थापना, लाभार्थीपरक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर आच्छादित कर समेकित एवं स्थायी विकास की आवश्यकता है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त ऐसे पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में अवस्थापना, लाभार्थीपरक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर आच्छादित कर समेकित एवं स्थायी विकास की आवश्कता की पूर्ति हेतु प्रदेश में **"मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना"** के क्रियावयन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

http://shabandesh.up.nic.in

3- (i) <u>योजना का उद्देश्य :-</u>

इस योजना का उद्देश्य सम्पर्क मार्ग/सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल, ग्राम के अन्दर खड़न्जा/नाली निर्माण, कल्याणकारी लाभार्थीपरक योजनाएं- पेंशन, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, कौशल विकास- आजीविका एवं कृषि योजनाएं आदि का क्रियान्वयन कर चिन्हित पिछड़े राजस्व ग्रामों का सर्वांगीण विकास कराया जाना है।

(i i) <u>योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रम :-</u>

योजनान्तर्गत चिन्हित पिछड़े राजस्व ग्रामों **(मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित)** में 17 कार्यदायी विभागों द्वारा 24 कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।

संचालित होने वाले कार्यक्रमों को संबंधित कार्यदायी विभागों द्वारा कन्वर्जेंस के माध्यम से **प्राथमिकता** प्रदान करते हुए **चरणबद्ध रूप से** कार्य कराया जाएगा, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	संचालित कार्यक्रम	कार्यदायी विभाग का नाम
1	2	3
1	सम्पर्क मार्ग निर्माण	लोक निर्माण विभाग
2	ग्रामीण विद्युतीकरण	ऊर्जा विभाग
3	आंतरिक पक्की गलियों एवं नालियों का निर्माण	पंचायती राज विभाग
4	स्वच्छ भारत मिशन	पंचायती राज विभाग
5	स्वच्छ पेयजल हैण्डपम्प के माध्यम से जलापूर्ति/समुचित जलापूर्ति व्यवस्था- ग्राम पंचायत के माध्यम से	ग्राम्य विकास विभाग पंचायती राज विभाग
6	आवासहीन को आवास	ग्राम्य विकास विभाग
7	प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना/निर्माण (आच्छादित होने की दशा में विद्यालय का कम्प्यूटरीकरण)	बेसिक शिक्षा विभाग
8	आंगनवाड़ी केन्द्रो की स्थापना/निर्माण	बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
9	राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्राम्य विकास विभाग
10	पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण	महिला कल्याण विभाग
11	वृद्धावस्था / किसान पेंशन वितरण	समाज कल्याण विभाग
12	कौशल विकास कार्यक्रम	व्यवसायिक शिक्षा विभाग
13	दिव्यांगजन पेंशन	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
15	वृक्षारोपरण	वन विभाग
16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)	खाद्य एवं रसद विभाग
17	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
18	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	बेसिक शिक्षा विभाग
19	मनरेगा	ग्राम्य विकास विभाग
20	तालाबों का जीर्णोद्धार	ग्राम्य विकास विभाग
21	डेयरी प्रसंस्करण	दुग्ध विकास विभाग
22	आई.सी.डी.एस.	बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
23	किसान क्रेडिट कार्ड/मृदा स्वास्थ्य कार्ड/मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण/कृषि यांत्रिकीकरण/प्रमाणिक बीज वितरण/ राष्ट्रीय खाद्य मिशन आदि योजनाएं	कृषि विभाग
24	शहीद सैनिक के ग्रामों में तोरण द्वार एवं शहीद सैनिक की मूर्ति की स्थापना	ग्राम्य विकास विभाग एवं संस्कृति विभाग

उपर्युक्त कार्याक्रमों का संबंधित कार्यदायी विभागों द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii)- कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन :-

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में विकास कार्यों की गतिशीलता प्रदान करने हेतु संबंधित कार्यदायी विभागों द्वारा कन्वर्जेंस के माध्यम से प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्य कराए जायेंगे। योजनान्तर्गत जिन कार्यक्रमों का संतृप्तीकरण राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से हो पाना सम्भव न हो, ऐसी स्थिति में उक्त योजना विशेष के कार्यों को विधायक निधी/अन्य निधियों के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से, यथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार, कराये जाने की व्यवस्था बनाये जाने पर विचार किया जा सकेग।

योजनान्तर्गत लक्षित विकास कार्य तथा मूलभूत सुविधाओं के कार्यक्रमों को **चरणबद्ध रूप से सम्पादित** कर चिन्हित ग्रामों को संतृप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i v) योजनान्तर्गत संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों के संतृप्तीकरण के मानक निम्नवत होंगे :-

(1) <u>सम्पर्क मार्ग निर्माण</u>

चयनित राजस्व ग्राम को विभागीय मानकानुसार पक्के मार्ग से जोड़ा जाएगा।

(2) <u>ग्रामीण विद्युतीकरण</u>

चयनित राजस्व ग्राम को भारत सरकार द्वारा संचालित पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति व अन्य योजना के अद्यतन मानकों के अनुसार विद्युतीकृत किया जाएगा।

(3) <u>आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण</u>

चयनित राजस्व ग्राम की बसावटों में आन्तरिक गलियों में चलने योग्य पक्की संरचना का निर्माण कराया जाएगा।

राजस्व ग्राम में जिन गलियों में दोनों तरुफ आबादी है और मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर या उससे अधिक है वहां दोनों ओर नाली बनायी जायेगी। अन्य गलियों में स्थलीय आवश्यकतानुसार नाली बनायी जायेगी।

राजस्व ग्राम में नालियों से जलनिकासी सुनिश्चित करने हेतु चलने योग्य पक्की संरचना/नाली निर्माण से पूर्व ग्राम की समस्त गलियों का एक ढलान मानचित्र (स्लोप मैप) तैयार कर लिया जायेगा। इसके पश्चात चलने योग्य पक्की संरचना/नाली का निर्माण इस प्रकार कराया जायेगा कि निर्मित की गयी समस्त नालियों से पानी निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।

(4) <u>स्वच्छ भारत मिशन</u>

चयनित राजस्व ग्राम की समस्त आबादी को भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के मानकों के अनुसार संतृप्त किया जायेगा।

(5) <u>स्वच्छ पेय जल हैण्डपम्प के माध्यम से जलापूर्ति/समुचित जलापूर्ति व्यवस्था- ग्राम पंचायत के माध्यम से</u>

चयनित राजस्व ग्राम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर. डी.डब्ल्यू.पी.) के अधीन ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित अद्यतन दिशा-निर्देशों/मानकानुसार पेयजल की आपूर्ति की जायेगी। साथ ही हैण्डपम्प/रिबोर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कर ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति व्यवस्था बनायी जायेगी।

(6) <u>आवासहीन को आवास</u>

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित आवास योजनाओं के अन्तर्गत अद्यतन मानकों के अनुसार आवासहीन को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) <u>प्राथमिक - उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना / निर्माण</u>

<u>(आच्छादित होने की दशा में विद्यालय का कम्प्यूटरीकरण)</u>

चयनित राजस्व ग्राम में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के विभागीय मानकानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं भवन निर्माण कराकर संतृप्त किया जायेगा।

विद्यालयों में विभागीय मानकों के अनुसार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व ग्राम में जहां पूर्व से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं, ऐसे विद्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा।

(8) <u>आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना / निर्माण</u>

चयनित राजस्व ग्राम में विभागीय मानक के अनुसार आगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

यदि आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु सरकारी भवनों की समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां आंगनबाड़ी केन्द्र/ केन्द्रों हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था की जायेगी।

(9) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</u>

चयनित राजस्व ग्राम में विभागीय मानक के अनुसार स्वयं सहायता समूहों का गठन और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।

(10) <u>पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण</u>

चयनित राजस्व ग्राम में विभागीय अद्यतन ओदेशों के अनुसार योजनान्तर्गत पात्र समस्त महिलाओं को निर्धारित पेंशन प्रदान की जायेगी।

(11) <u>वृद्धावस्था / किसान पेंशन वितरण</u>

चयनित राजस्व ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार योजनान्तर्गत पात्र समस्त व्यक्तियों को निर्धारित पेंशन प्रदान की जायेगी।

(12) कौशल विकास कार्यक्रम

कौशल विकास पहल (स्किल डेवलेपमेंट इनीशियेटिव) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व ग्राम के पात्र एवं इच्छुक निवासियों को स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक व्यवसायिक /तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जायेगा।

(13) <u>दिव्यांगजन पेंशन</u>

चयनित राजस्व ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार योजनान्तर्गत पात्र समस्त व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) <u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन</u>

चयनित राजस्व ग्राम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभागीय मानक के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) <u>वृक्षारोपरण</u>

चयनित राजस्व ग्रामों में विभागीय कार्ययोजना के साथ-साथ ग्राम के प्रवेश मार्ग के दोनों ओर पाठशाला प्रांगण में, तालाब के चारों तरफ एवं प्रत्येक अधिष्ठापित हैण्डपम्प के बगल में भी अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(16) <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</u>

चयनित राजस्व ग्राम के समस्त पात्र परिवारों को विभागीय मानक के अन्तर्गत पात्रता के अनुरूप कार्ड का वितरण करते हुए प्रत्येक माह अनुमन्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(17) <u>वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से</u>

चयनित राजस्व ग्राम में सोलर स्ट्रीट लाईट के माध्यम से मार्ग प्रकाश की व्यवस्था विभागीय मानकों के अनुसार की जायेगी।

(18) <u>राष्ट्रीय साक्षरता मिशन</u>

चयनित राजस्व ग्राम में निवास करने वाले लोगों को विभागीय मानकानुसार शिक्षित किया जायेगा।

(19) <u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम</u>

चयनित राजस्व ग्राम में इच्छुक व्यक्तियों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर मनरेगा योजना के मानकों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

(20) <u>तालाबों का जीर्णोद्धार</u>

चयनित राजस्व ग्राम में मनरेगा योजना के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा।

(21) <u>डेयरी प्रसंस्करण कार्यक्रम</u>

चयनित राजस्व ग्राम में निवास करने वाले दुग्ध उत्पादकों को विभागीय मानकों के अनुसार सहकारी दुग्ध समितियां गठित कराते हुए दुग्ध उत्पादन कराए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

(22) <u>आई.सी.डी.एस.</u>

चयनित राजस्व ग्राम में निवास करने वाली माताओं एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक एवं सामाजिक विकास हेतु भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किए जाएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(23) <u>लाभार्थीपरक कृषि विकास की योजनाएं</u>

किसान क्रेडिट कार्ड/मृदा स्वास्थ्य कार्ड/मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण /कृषि यांत्रिकीकरण/प्रमाणिक बीज वितरण/राष्ट्रीय खाद्य मिशन आदि योजनाएं मानकों के अनुसार कृषि विभाग द्वारा संचालित कर चिन्हित राजस्व ग्राम को संतृप्त किया जायेगा।

(24) <u>शहीद सैनिक के ग्रामों में सड़क, तोरण द्वार एवं शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना</u>

देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को **"शहीद ग्राम"** घोषित किया जाएगा और यदि ग्राम सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। मार्ग को **"गौरव पथ"** नाम दिया जाएगा। ग्राम में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति की स्थापना करायी जाएगी।

4- **<u>योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन का आधार</u>**

(i)- योजनान्तर्गत पिछडे राजस्व ग्रामों के साथ-साथ उनके मजरे/पुरवे/टोले-बसावटों को भी विकास कार्य से संतृप्त किया जायेगा। ऐसी बस्तियां जो सम्पर्क मार्ग/सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल, ग्राम के अन्दर खड़न्जा /नाली निर्माण, कल्याणकारी लाभार्थीपरक योजनाएं-पेंशन, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, कौशल विकास-आजीविका एवं कृषि योजनाएं आदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित हों एवं सीमावर्ती क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय/ अन्तर्राज्यीय) में स्थित हों तथा जहॉ समाज के वंचित वर्ग के लोग अधिसंख्य में निवास करते हों, का चयन निम्नानुसार किया जायेगा :-

(1) सीमावर्ती (अन्तर्राष्ट्रीय /अन्तर्राज्यीय) पिछडे ग्राम ।

(2) आदिवासी -जनजाति बाहुल्य वाले ग्राम तथा विशेषकर **बनटांगिया, मुसहर एवं थारू** वर्गों के ग्राम ।

(3) ऐसे अत्यधिक पिछडे ग्राम -बस्तियां, जो सम्पर्क मार्ग/सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल, ग्राम के अन्दर खड़ण्जा/नाली निर्माण, कल्याणकारी लाभार्थीपरक योजनाओं एवं कौशल विकास आदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित /असंतृप्त हैं।

(4) देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्राम।

(5) भौगोलिक संरचना की दृष्टि से विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े ग्राम ।

(i i)- जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार राजस्व ग्रामों (मजरे/पुरवे/टोले-बसावटें सहित) समयान्तर्गत सर्वे/चिन्हांकन कराया जायेगा। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत समिति गठित की जायेगी :-

(i) मुख्य विकास अधिकारी	-	अध्यक्ष
(i i) परियोजन निदेशक (डी.आर.डी.ए.)	-	सदस्य सचिव
(i i i) जिला विकास अधिकारी	-	सदस्य
(i V) सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी	-	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(V) जिला पंचायतराज अधिकारी - सदस्य
(Vi) सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी - सदस्य

(i i i) जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार राजस्व ग्रामों (मजरे/पुरवे/टोले-बसावटें सहित) का समय सीमान्तर्गत सर्वे/चिन्हांकन कर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को ग्रामों की सूची प्रेषित की जायेगी। तदोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा समेकित रूप से सम्पूर्ण प्रदेश की जनपदवार सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
(i V) उपरोक्तानुसार ग्रामों के चिन्हांकन के अनुसार शासन स्तर पर जनपदवार ग्रामों के चयन के उपरान्त पृथक से जनपदों को ग्रामों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

5. **<u>वित्तीय व्यवस्था :-</u>**

योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे/पुरवे/टोले-बसावटें सहित) में संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के माध्यम से प्राथमिकता प्रदान करते हुए, कराया जायेगा। योजनान्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों, जिनका संतृप्तीकरण राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से नहीं हो सकेगा, को विधायक निधि/ अन्य निधियों के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से, यथा मार्ग निर्देशों के अनुसार, कराये जाने की व्यवस्था बनाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

6. **<u>भूमिकाएं और जिम्मेदारियां :-</u>**

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की होगी।

योजनान्तर्गत कार्यदायी विभागों का उत्तरदायित्व होगा कि यथावश्यक संशाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए मण्डल एवं जनपद स्तर के अधिकारियों से अनुश्रवण/समन्वय कर भौतिक लक्ष्यों की शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ति करायेंगे।

जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि राजस्व ग्रामों की जो बस्तियां /मजरे/टोले-बसावटें मूलभूत सुविधाओं से लगातार वंचित रहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अवश्य संतृप्त कराया जाय।

7. **<u>कार्ययोजना :-</u>**

जिलाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे/पुरवे/टोले-बसावटें सहित) में संचालित होने वाले कार्यक्रमों से सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारियों से कार्ययोजना तैयार कराकर अन्तिम रूप दिया जायेगा और उनके द्वारा अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा शासन के प्रशासनिक विभाग को कार्ययोजना उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. **<u>राज्यस्तरीय समीक्षा :-</u>**

ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की जाएगी। समिति में योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से संबंधित कार्यादायी विभाग के योजना के नोडल अधिकारी- सचिव /विशेष सचिव एवं विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे। समित द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा बैठक की जायेगी और प्रगति से मुख्य सचिव समिति को अवगत कराया जायेगा।

योजना की उच्चस्तरीय समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में योजना की टास्क -फोर्स गठित की जायेगी। इस टास्क-फोर्स में सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं सम्बंधित कार्यदायी विभागों के साथ-साथ वित्त एवं नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर के व अन्य सदस्य विशेष आमंत्री के रूप में नामित होंगे।

शासन स्तर पर योजना की प्रभावी समीक्षा एवं समन्वय ग्राम्य विकास अनुभाग-10 (अनुश्रवण सेल) द्वारा किया जायेगा।

9- **<u>योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण</u>**

(i) शासन स्तर पर संचालित कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष एवं कार्यालय का पता संबंधी सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

(i i) योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होगा कि चयनित ग्रामों की कार्ययाजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यदायी विभाग/एजेन्सी द्वारा एक समय-सारणी निर्धारित की जाय।

(i i i) चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) के विकास हेतु कार्ययोजना का निर्माण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे तथा नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक चयनित राजस्व ग्रामों हेतु एक राजपत्रित अधिकारी को चार्ज आफिसर भी नामित किया जायेगा।

(i V) योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु जनपद एवं मण्डल स्तर पर निम्नानुसार समिति भी गठित की जायेगी:

क- जनपदपद स्तर पर अनुश्रवण समिति :-

क- जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष।
ख- मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य सचिव।
ग- सम्बन्धित चार्ज आफिसर	-	सदस्य।
घ- सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी	-	सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजनार्न्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, क्रियान्वयन एवं मानकानुसार संतृप्तीकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी होंगे। विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी जनपद स्तर पर गठित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के प्रति भी उत्तरदायी होंगे। योजना के निर्माण, संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु अन्य सभी विभागों के अधिकारी भी, जिन्हें समिति कोई भी दायित्व सौंपे, अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

जनपद में योजनान्र्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावटें सहित) के कार्यक्रमों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी प्रत्येक माह बैठक कर अनुश्रवण करेंगे। साथ ही प्रत्येक माह जनपद के चयनित राजस्व ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। यदि योजना के क्रियान्वयन व लक्षित प्रगति में कोई कठिनाई या कमी पायी जाती है, तो नोडल अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी ससमय समाधान कर योजना की गतिशीलता हेतु लक्षित प्रगति सुनिश्चित कराएंगे।

ख- **मण्डल स्तर पर अनुश्रवण समिति :-**

क-	मण्डलायुक्त	-	अध्यक्ष
ख-	अपर आयुक्त	-	सदस्य सचिव
ग-	मण्डल के समस्त जिलाधिकारी	-	सदस्य
	सम्बन्धित कार्यदायी विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी	-	सदस्य

योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावटें सहित) के कार्यक्रामों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु मण्डलायुक्त प्रत्येक माह बैठक कर अनुश्रवण करेंगे तथा वह प्रत्येक माह में एक बार किसी भी जनपद के चयनित राजस्व ग्राम का स्थलीय निरीक्षण कर वांछित प्रगति सुनिश्चित करायेंगे।

उपरोक्त सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 1/2018/13 (1)/38-10-2018 तददिनांकित /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
7- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0शासन।
8- समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, चिकित्सा, स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण, वन, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, दुग्ध विकास, कृषि व संस्कृति विभाग उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के संबंध में अपने स्तर से विभागीय निर्देश निर्गत कर कार्य-योजना तैयार कराकर संतृप्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
10- समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उ0प्र0।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।